न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद
रोहतास,सासाराम।

सासाराम (मुफ.) थाना काण्ड सं. 226 /2020

टिंकु सिंह उर्फ टिंकु कुमार सिंह
बनाम्
बिहार सरकार

धारा 438 द.प्र.संहिता

17.09.2020 आवेदक टिंकु सिंह उर्फ टिंकु कुमार सिंह की ओर से दिनांक 13.08.2020 को ऑन लाईन दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 438द.प्र.संहिता पर सुनवाई पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक टिंकु सिंह उर्फ टिंकु कुमार सिंह की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि इस वाद के सूचक द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत आरोपित करते हुए सासाराम(मुफ.) थाना काण्ड सं. 226/2020 के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है जिसके कारण आवेदकगण को भय है कि उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और उस गिरफ्तारी के भय से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 438 द.प्र.संहिता के तहत दाखिल किया गया है तथा अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में ही विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद रोहतास सासाराम श्री रामेश्वर सिंह को दी गयी है।

संक्षेप में अभियोजन का मामला सूचक संतोष कुमार अरूण पु.अ.नि. सासाराम (मुफ.) के स्वलिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचक दिनांक 18.07.2020 के रात्रि समय करीब 12.00बजे पु.अ.नि. जय नारायण ठाकुर, स.अ.नि. विजय राम व सशस्त्र बल के साथ रात्रि गस्ती के समकालीन अभियान में प्रस्थान किया और ग्राम लेरूआ में वारंटियों के विरूद्ध दिनांक 19.07.2020 को समय करीब 03.00बजे छापामारी के दौरान मोबाइल पर सूचना दिया गया कि हाईवे से कंचनपुर जाने वाली सड़क में बरगद के पेड़ के नीचे दस चक्का ट्रक स. एच.आर. 55एस.–6311 को खड़ा करके शराब की पेटी धनजी सिंह पिता स्व. नाम नंदन सिंह ग्राम लेरूआ और टिंकु सिंह पिता हरेन्द्र सिंह ग्राम कंचनपुर, थाना सासाराम(मुफ.) जिला रोहतास ने उतरवाकर पीकअप गाड़ी से भेजने वाले है। ये दोनों मिलकर शराब के कारोबार करते है। टिंकु सिंह के साथ में उनका एक संबंधी का लड़का भी काम करता है तथा वह टिंकु सिंह के मोटर साईकिल को लेकर लोकेशन देता है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचक दल–बल के साथ हाइवे से उतर कंचनपुर गांव में जाने वाले सड़क में प्रवेश किया तो ट्रक केपास से दो व्यक्ति कंचनपुर के तरफ भाग गये तथा एक लड़का पकड़ा गया। पूछने पर उसना अपना नाम विशाल सिंह पिता श्री उमेश सिंह ग्राम वभनडी, थाना रिसियप जिला औरंगाबाद बतलाया तथा भागे हुए दोनों व्यक्तियों का नाम क्रमशः टिंकु सिंह पिता हरेन्द्र सिंह ग्राम कंचनपुर तथा धनजी सिंह ग्राम लेरूआ बतलाया। यह भी बतलाये कि वे लोग शराब की धंधा करते है। धनजी सिंह और टिंकु सिंह ने मिलकर हरियाणा से शराब ट्रक से मंगवाते है तथा बेचते है। टिंकु सिंह किस से बात करके शराब मंगवाते है, उसकी जानकारी नहीं है। ट्रक के पास जमीन पर बारह पेटी क्रेजी रोमियों तथा 350 पीस 180एम.एल. का पाया गया तथा ट्रक के तलाशी हेतु दो स्वतंत्र गवाहों का खोजबीन किया गया लेकिन कोई व्यक्ति नहीं मिला। करीब 07.00बजे सुबह में स्थानीय चौकीदार से पांच मजदूरों को बुलाकर ट्रक पर लदे सभी बोरा को नीचे उतार कर बल के साथ आयें। सिपाही भवानी नंदन पाल एवं सिपाही विजय सिंह के उपस्थित में ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक के डाला में बक्सा का रूप देकर शराब की पेटियों को छुपाकर रखा हुआ पाया गया जिसे मजदूरों के सहयोग से नीचे उतार कर गिनती करने पर कुल 498 क्रेजी रोमियों का पेटियां पाया गया। प्रत्येक पेटी में 48पीस 180एम.एल. का शीशी जमीन पर तथा ट्रक के डाला के अन्दर पाये गये कुल पेटियों की संख्या 510 पाये गये। गाड़ी के अन्दर तलाशी लेने पर तलाशी के क्रम में गाड़ी का कागजात पाया गया जिस पर मालिक का नाम JAIDEEP S/O SH. DHARAMBIR VPO SAMCHANA, DISTT-ROHTAK, MATNSAR 1MT MANESAR, Vill- DHANA GURGAON HR 122001 लिखा हुआ था। गाड़ी के कागजात के अवलोकन से गाड़ी का निबंधन सं. एच.आर. 55एस.–6311 है। गाड़ी के फाइल से ट्रक के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हुआ जिसपर कैलाश चंद बरवा पिता कलियान मल वरवा ग्राम जमोली, तहसील–जहाजपुर जिला भलवारा (राजस्थान) लिखा हुआ है। ट्रक के पास एक यमहा कम्पनी का एम.टी. मोटर साईकिल खड़ा था जो बिना पंजीयन संख्या का था जिसका चेचीस सं.ME1RG5913K0004050 तथा इंजन संख्या 63K5E008768 है। उपरोक्त सभी सामानों को विधिवत जब्त कर जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया तथा जब्ती सूची के साक्षी स्वेच्छा पूर्वक अपना अपना हस्ताक्षर बना दिये। तत्पश्चात जब्त सभी सामान एवं जब्ती सूची तथा छापामारी दल के साथ वापस थाना आये जिसके आधार पर आरोपित करते हुए यह काण्ड अंकित किया गया।

लगातार

17.09.2020 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदक निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है तथा घटनास्थल पर कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। आवेदक को गांव की गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण इस झूठे एवं मिथ्या वाद में पुलिस द्वारा दुश्मनीवश संलिप्त किया गया है। सम्पूर्ण अभियोजन कथन बनावटी, निराधार एवं मिथ्या है। समाज में गलत तरीके से यह आम धारणा व्याप्त हो गयी है कि यदि किसी व्यक्ति से बदला लेना हो या उसे परेशान करना हो या तंग–तबाह करना हो तो उस व्यक्ति को उत्पाद अधिनियम के तहत फंसा दिया जाए। आवेदक का इस वाद में जब्त मोटर साईकिल एवं ट्रक से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का यह अवधारणा है कि जबतक किसी व्यक्ति के विरूद्ध उसकी सीधी संलिप्तता न पाया जाए और उसके भौतिक कब्जा से कोई आपत्तिजनक वस्तु या मादक पदार्थ बरामद न हो, उसे किसी मामला में संलिप्त नहीं किया जा सकता है। आवेदक को घटना के दिन एवं समय पर घटनास्थल पर देखा नहीं गया है। आवेदक की इस वाद में संलिप्तता, पुलिस द्वारा अपनी शक्ति का दुरूपयोग है। प्राथमिकी से यह स्पष्ट नहीं है कि इस वाद के सूचक को किस व्यक्ति के द्वारा आवेदक का नाम इस वाद में संलिप्त होने के संबंध में बतलाया गया है। इस वाद के सह अभियुक्त द्वारा दिये गये स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आवेदक को इस वाद में संलिप्त किया गया है तथा धारा 100द.प्र.संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। आवेदक सभ्रान्त परिवार का सदस्य है और गांव में उसका सम्मान है तथा उसके विरूद्ध यह झूठा मामला लाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और बिना किसी विधिक साक्ष्य के उसके विरूद्ध यह मामला लाया गया है। आवेदक न्यायालय के आदेशानुसार बंध पत्र एवं धारा 438(2) द.प्र.संहिता में विहित शर्त्तों का अनुपालन करने हेतु तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद रोहतास सासाराम अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुये इसे अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात मेरे द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष से काण्ड दैनिकी की मांग किये जाने तथा पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी अभियोजन की ओर से काण्ड दैनिकी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है और इसके विरूद्ध 4473 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किये जाने का आरोप है तथा जब्ती सूची के परिशीलन से यह भी विदित होता है कि उक्त जब्ती सूची घटना के दिन व समय पर घटना स्थल पर बनाया गया था क्योंकि प्राथमिकी के साथ पृथक रूप से संलग्न जब्ती सूची पर सह अभियुक्त विशाल कुमार सिंह का हस्ताक्षर है जिसकी प्रति उसे घटना के दिन व समय पर घटनास्थल पर हस्तगत कराया गया था तथा प्राथमिकी से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक पुलिस बल को देखकर घटनास्थल से फिरार हो गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूरे बिहार राज्य में शराब बंदी कानून लागू होने के बाद भी उसके द्वारा अवैध रूप से शराब का व्यवसाय एवं परिवहन वृहद मात्रा में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता बहस के दौरान यह दर्शाने में भी असफल रहे है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R) में लगाये गये आरोप से आवेदक के विरूद्ध कथित अपराध सृजन हेतु आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है।

उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों, परिस्थितियों वाद की प्रकृत्ति एवं लगाये गये आरोप की गम्भीरता तथा बरामद शराब की मात्रा(4473लीटर) एवं उत्पाद अधिनियम के तहत किये गये अपराध के लिए धारा 76 (2) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत की पोषणीयता पर विचार करते हुए यह न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का पर्याप्त आधार नहीं पाती है। तद्नुसार आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 13.08.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष न्यायाधीश उत्पाद, रोहतास, सासाराम